

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 14-3-17
को पेश हो।
रीडर

14-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलाधी/रिप्लोन्डेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/उपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य
~~कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 11-4-17
को पेश हो।
रीडर

11-4-17 वकील उभयपक्ष उपर है 3 तिवादी नं 3, 4, 6, 7
की ओर से श्री दिनेश चंद ओस अव. नैकाल 11-11-17
पेस दिना/वाले अवकाश व अक्षमगी दर्जा प्रति.
नं 1, 2, 5 पत्रा नं 16-5-17 को पेश है
3

8-5-17 पत्रावली जामा लोक अदालत कैम्प नारायणपुर
पर पेश हुई। पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर उन्हें
खण्ड नं 875, 873, 0.56, 1.65 ग्राम नारायणपुर का सीमाशान
करवा कर मुकदमे का निपटारा करने हेतु निवेदन
किया है। पक्षकारों को सुना गया, इन्हे समझाया
गया व प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया।
राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादा इस प्रकार
निर्णय किया जाता है कि जायब तहसीलदार तलख
स्वयंकी अध्यक्षता में गिरदार व पखारी दलका
की टीम गठित कर मौके पर जाकर पक्षकारों को
भूमि खण्ड नं 875, 873, 0.56, 1.65 ग्राम नारायणपुर की नाप
कर सीमाशान करावे तथा फाफना इस न्यायालय
को भिजवावे। राजीनामा निर्णय का हिससा इदगा
पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से कम हो सर्व
बाद तकमील हासिल दफतर हो।

11-4-17
दिनेश चंद ओस
अध्यक्ष

(कमलेश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(काबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
--	--	--

वकील शोध
व दावा व
पत्रावली

नम्बर
अहक
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर
जन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

पुत्र भौरया मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

पुत्र श्योजी मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
खेमचंद पुत्र हरि मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
पुत्र हरि मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
पुत्र हरि मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
पत्नी हरि मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
पत्नी खेमचंद मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
पुत्री हरि, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

नं. - 62/2014

वादी की ओर से वादी लड्डू की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी हरिप्रसाद, खेमचंद की प्रति में इस वाद मे आज तारीख 8.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार नायब तहसीलदार तलावडा देखित किया जाता है कि उनकी अध्यक्षता मे एक टीम का गठन करे जिसमे गिरदावर व पटवारी नारायणपुर होवे। उक्त टीम भूमि ख0न0 875 रकबा 0.56 हेक्टर, 873 रकबा हेक्टर ग्राम नारायणपुर की मौके पर नाप कर एक माह मे पक्षकारों को भूमि का सीमाज्ञान दे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 8.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

शांरहे

8-5-2017

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं परिसर सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान गंगापूर

नम्बर मुकदमा 62/14

उनवान मुकदमा 2133

बनाम

हरिकोठ

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी / प्रार्थी /
अपीलार्थी / प्रतिवादी / प्रत्यर्थी / रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा / समझौता करना चाहता
है।


अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

स्थान गंगापूर

दिनांक 8/5/17

हरिकोठ



राजस्थान अधिकाारी एवं जिला न्यायाधीश, गंगापूर
 (पीआरसीन अधिकाारी) लोक अदालत, गंगापूर
 कांम्य काट का स्थान : गंगापूर

राजीनामा प्रपत्र

राजीनामा नं. :
 गंगापूर
 ८३३
 ६२/१५

नाम : हरि शर्मा
 अन्तर्गत काट : १८८ R.T. Act
 ८३३- पुत्र मौर्य शर्मा

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री [नाम] का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो जाने से कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

कि विवाह ३१.१२.७३ को हुआ था नं. ८७५
 २६ एम व ८७३ एम १.६५ हे. गंगापूर (क)
 गंगापूर जिला न्यायालय में २७.६.७४ पंजीकृत हुआ है।
 कि विवाह ३१.१२.७३ को हुआ था नं. ८७५
 २६ एम व ८७३ एम १.६५ हे. गंगापूर (क)
 गंगापूर जिला न्यायालय में २७.६.७४ पंजीकृत हुआ है।
 कि विवाह ३१.१२.७३ को हुआ था नं. ८७५
 २६ एम व ८७३ एम १.६५ हे. गंगापूर (क)
 गंगापूर जिला न्यायालय में २७.६.७४ पंजीकृत हुआ है।

प्रतिवादी पक्ष 1

[Signature]
 3. *[Signature]*

प्राथी/वादी
 श्री [नाम]
 सरपंच
 गंगापूर नगरपालिका टटवाड़ा
 गंगापूर सिटी (संगम)

4. *[Signature]*
 पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
 (प्रतिवादी पक्ष) नाम

एक अप्राथी/ प्रतिवादी हरि प्रसाद, जेमचन्द
 का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। राजीनामे की इजाजत को मूल में समाप्त कर दिया गया है। राजीनामा अमान्य किया जा रहा है।

[Signature]
 (सदस्य)
 (सदस्य)
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी

[Signature]
 (सदस्य)
 (सदस्य)
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी

[Signature]
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी